फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)मुकाम–सिरोही(राज.)

प्रार्थी
1. अभयसिंह पुत्र श्री भोपालसिंह
जाति राजपूत नि. सोलंकी वास, गोयली
तहसील व जिला सिरोही

बनाम

अप्रार्थी
1.स्टेट, जरिये तहसीलदार, सिरोही

किस्म मुकदमा,

राजस्व प्रा.पत्र अ.धारा 136 एल.आर एक्ट — रा.प्रा.पत्र सं. 24 / 2023

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
17–02–25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी की ओर वकील श्री हरि ओम दता व स्टेट की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित । अप्रार्थी स्टेट ने जरिये पत्रांक / रीडर / 2023 / 62 दिनांक 24–01–2025 से प्रस्तुत जवाब को शामिल पत्रावली की गई, प्रति वकील प्रार्थी को उपलब्ध करवाई गई। तहसीलदार सिरोही से प्राप्त जवाब अनुसार मौजा गोयली के राजस्व रेकर्ड संवत् 2071–2074 के खाता संख्या 159 खसरा संख्या 591 व 751 से 770 कुल किता 21 कुल रकबा 13.88 है0 में क्र0सं0 14 पर प्रार्थी का नाम ओबसिंह पुत्र भोपालसिंह दर्ज है जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक में अभयसिंह दर्ज है। प्रार्थी अभयसिंह व ओबसिंह पुत्र भोपालसिंह नि. गोयली एक ही व्यक्ति है, इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति नही है। अतः प्रार्थी का गलत नाम ओबसिंह पुत्र भोपालसिंह के स्थान पर अभयसिंह पुत्र भोपालसिंह शुद्व किया जाना उचित होना बताया है । प्रकरण में वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार द्वारा अंतिम बहस हेतु निवेदन पर वकील प्रार्थी व पेरोकार सरकार की अंतिम बहस सुनी गई। हमने वकील प्रार्थी व परोकार सरकार की अंतिम बहस का गंभीरता पूर्वक मनन किया, विचरण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली व दस्तावेजात व स्टेट द्वारा प्रस्तुत जवाब का भी गहनतापूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अधारा 136 एल.आर एक्ट का तहसीलदार से प्राप्त जवाब के आधार पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिरोही को आदेश दिया जाता है कि ***मौजा गोयली के राजस्व रेकर्ड संवत् 2071–2074 के खाता संख्या 159 खसरा संख्या 591 व 751 से 770 कुल किता 21 कुल रकबा 13.88 है0 में क्र0सं0 14 पर प्रार्थी का गलत नाम ओबसिंह पुत्र भोपाल सिंह के स्थान पर अभय सिंह पुत्र भोपाल सिंह संशोधन कर*** उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अपडेट कर पालना से इस न्यायालय को अवगत करावें लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही	